

परिशिष्ट
(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त - मसूरी सीवरेज योजना
विवरण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की - संलग्न है।
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। - 345.19 लाख
- महाफॉल एसोटीओपीओ के
D/S में इम्प्लूमेंट निस्तारण
हेतु अन्य कोई संरेख न होने
के कारण
2. ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
घ) शेजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - लागू नहीं।
- रु० _____ लाख
- 0.594405 हे० (वन भूमि) + 0.0492 हे० ...
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
(राजकीय भूमि)
क) परिवारों की संख्या - X
ख) अनुरक्षित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - X
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - X
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं) - केवल औपचारिक
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या वण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। - संलग्न है।
- संलग्न है।

दिनांक 30-1-17

स्थान देहरादून

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम : सुभाष चन्द

मोहर

अधिसूची अभियन्ता
नियंत्रण शाखा
उत्तराखण्ड पर्यावरण निगम

मसूरी (देहरादून)

प्रस्ताव की क्रम संख्या EP/UK/other/27153/2017
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)
EP/UK/other/27153/2017